प्रथम सूचना रिपोर्ट (अन्तर्गत धारा 154 दंण्ड प्रकिया संहिता)

1.	जिला जयपुर थाना प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0 नि0 ब्यूरो, जयपुर वर्ष 2022
	प्र०इ०रि० सं 132/2022 दिनांक 15/9/2022
2.	(I) * अधिनियम भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 धाराये 7
	(II) * अधिनियम धारायें धारायें
	(III) * अधिनियम धारायें धारायें
	(IV) * अन्य अधिनियम एवं धारायें
3.	(अ) रोजनामचा आम रपट संख्या <u>2.79</u> समय . ७ ७४ रि. 📉 ,
	(ब) अपराध घटने का दिन मंगलवार दिनांक 14.04.2022 समय 03.37 पी.एम.
	(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक13.04.2022समय01:40 पी.एम.
4.	सूचना की किस्म :- लिखित / मौखिक - लिखित
5.	घटनास्थल :-
(अ)	पुलिस थाना से दिशा व दूरी:— दक्षिण दिशा, लगभग 13 किमी.
(ब)	पता जे–1110, लक्ष्मी डायमण्ड टूल्स, फ्रेज 3, सीतापुरा जयपुर
(स)	यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
(1)	पुलिस थानाजिलाजिलाजिला
6.	परिवादी / सूचनाकर्ता :
0.	(अ) नाम श्री दिपेन्द्र विश्नोई
	(ब) पिता / पित का नाम श्री हजारी लाल विश्नोई
	(स) जन्म तिथी / वर्ष करीब32 साल
	(द) राष्ट्रीयता . भारतीय
	(य) पासपोर्ट संख्याजारी होने की तिथि .
	जारी होने की जगह
	(र) व्यवसाय – प्राईवेट
	(ल) पता – मकान नम्बर ८, तनेजा स्ट्रीट, नगर–निगम स्टेडियम के सामने, सांगानेर,
	जिला जयपुर
7.	ज्ञात / अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित : —
1.	आरोपी श्री सौरभ सिंह पुत्र स्व. श्री भीकम सिंह उम्र 34 साल जाति जाटव निवासी फ्लेट नं. 304, प्लाट नं. 157, गोविन्द धाम अपार्टमेन्ट, कृष्णा सरोवर, मानसरोवर,
	जयपुर हाल कनिष्ठ अभियन्ता व अतिरिक्त प्रभार सहायक अभियंता, जयपुर विद्युत
	वितरण निगम लिमिटेड, सीतापुरा एफ–1, जयपुर व अन्य
8.	परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :कोई नहीं.
9. :	चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)
10.	चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य
11.	पंचनामा / यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो)
12.	विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें):

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि दिनांक 13.04.2022 को परिवादी श्री दिपेन्द्र विश्नोई पुत्र श्री हजारी लाल विश्नोई, जाति विश्नोइ, निवासी मकान नम्बर ८, तनेजा स्ट्रीट, नगर-निगम स्टेडियम के सामने, सांगानेर, जिला जयपुर ने उपस्थित कार्यालय होकर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को एक लिखित प्रार्थना पत्र इस आशय पेश किया कि " निवेदन है कि मेरी factory सीतापुरा औधोगिक क्षेत्र में स्थित है। जिसका मैनें बिजली का कनेक्शन Apply कर रखा है। जिसकी सारी fowermalty पुरी कर रखी है। इसके बावजुद JEN (sourabh singh) 25000 / रू. रिश्वत कि डिमाण्ड कर रहा है। मैनें कहा तो बोला के उपर तक देना पडता है। सीतापुरा में इसने लुट मचा रखी है सब लोग इससे परेशान है आज बिजली कनेक्शन कि वजह से मेरा काम रूका पड़ा है इससे मुझे काफी नुकसान हो रहा है। मेरी इससे कोई व्यक्तिगत लेन देन या दुश्मनी नहीं है। कार्यवाही करे।" उपरोक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तथा परिवादी से पूछताछ की गई तो मामला रिश्वत राशि मांगने का पाया जाने पर श्री सुरेश कानि. नं. 407 को अपने कार्यालय में बुलाया। परिवादी श्री दिपेन्द्र विश्नोई का श्री सुरेश कानि. से आपस में परिचय करवाया गया। कार्यालय की आलमारी से एक डिजिटल वाईस रिकार्डर निकाल कर उसमें एक नया खाली मेमोरी कार्ड लगाया गया। परिवादी को डिजिटल वाईस रिकार्डर को चालू व बन्द करने की विधि समझाई गई। डिजिटल वाईस रिकार्डर को श्री सुरेश कानि. को सुपुर्द कर हिदायत की गई कि परिवादी जब भी संदिग्ध से रिश्वत के संबंध में वार्ता करने जाये उससे पूर्व डिजिटल वाईस रिकार्डर को चालू कर परिवादी को सुपूर्व करें एवं परिवादी व संदिग्ध के मध्य होने वाले वार्तालाप को सुनने का प्रयास करें। इसके बाद परिवादी व श्री सुरेश कानि. को बाद मुनासिब हिदायत के रवाना किया गया। इसके बाद समय 04:50 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक शिवराज सिंह को श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय, एस.यू. द्वितीय, ए.सी. बी. जयपुर ने अपने कक्ष में बुलाया और एक प्रार्थना पत्र पर मन् पुलिस निरीक्षक के नाम आवश्यक विधिक कार्यवाही करने का पृष्ठांकन कर सुपुर्द किया और बताया कि कार्यालय के श्री सुरेश कानि. एवं परिवादी श्री दिपेन्द्र विश्नोई को डिजिटल वाईस रिकार्डर देकर रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही हेतु रवाना किया जा चुका है। इसके बाद प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया तो परिवादी श्री दिपेन्द्र विश्नोइ पुत्र श्री हजारी लाल विश्नोई, जाति विश्नोई, निवासी मकान नम्बर ८, तनेजा स्ट्रीट, नगर-निगम स्टेडियम के सामने, सांगानेर, जिला जयपुर द्वारा श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, स्पेशल यूनिट द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर के नाम एक लिखित प्रार्थना पत्र है जिसमें लिखा गया है कि "निवेदन है कि मेरी factory सीतापुरा औधोगिक क्षेत्र में स्थित है। जिसका मैनें बिजली का कनेक्शन Apply कर रखा है। जिसकी सारी fowermalty पुरी कर रखी है। इसके बावजूद JEN (sourabh singh) 25000 / रू. रिश्वत कि डिमाण्ड कर रहा है। मैनें कहा तो बोला के उपर तक देना पडता है। सीतापुरा में इसने लुट मचा रखी है सब लोग इससे परेशान है आज बिजली कनेक्शन कि वजह से मेरा काम रूका पड़ा है इससे मुझे काफी नुकसान हो रहा है। मेरी इससे कोई व्यक्तिगत लेन देन या दुश्मनी नहीं है। कार्यवाही करें प्रार्थना पत्र के अवलोकन से मामला रिश्वत मांगने का पाया गया है। परिवादी श्री दिपेन्द्र विश्नोई व श्री सुरेश कानि. के वापस कार्यालय आने पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। इसके बाद श्री सुरेश कानि. नं. 407 व परिवादी श्री दिपेन्द्र विश्नोई के उपस्थित कार्यालय आये है। श्री सुरेश कानि. द्वारा डिजिटल वाईस रिकार्डर सुपुर्द कर बताया कि मैं परिवादी के साथ ब्यूरो मुख्यालय से खाना होकर परिवादी की पूरानी फैक्ट्री एच-1, 826 सीतापुरा जयपुर पहुंचा, जहां पर परिवादी श्री दिपेन्द्र विश्नोई ने संदिग्ध श्री सौरभ सिंह, कनिष्ठ अभियंता को फोन कर फैक्ट्री आने हेतु फोन किया, संदिग्ध श्री सौरभ सिंह, कनिष्ठ अभियंता के फैक्ट्री पर आने से पूर्व मैनें डिजिटल वाईस रिकार्डर चालू कर परिवादी को सुपुर्द किया। इसके कुछ देर बाद श्री सौरभ सिंह, कनिष्ठ अभियंता फैक्ट्री पर आया, जिसने परिवादी से रिश्वत की वार्ता की, श्री सौरभ सिंह, कनिष्ठ अभियंता के फैक्ट्री से जाने के बाद परिवादी ने डिजिटल वाईस रिकार्डर मुझे सुपुर्द किया जिसको मेरे द्वारा बन्द किया गया, इसके बाद परिवादी को साथ लेकर वापस कार्यालय आया हूं। इसके बाद परिवादी श्री दिपेन्द्र विश्नोई से पूछताछ की गइ तो श्री दिपेन्द्र विश्नोई ने श्री सुरेश कानि. के कथनों की ताईद करते हुये बताया कि मैं श्री सुरेश कानि. के साथ ब्यूरों से रवाना होकर हमारी पूरानी फैक्ट्री एच-1, 826 सीतापुरा जयपुर गये जहां पर मैनें समय 15:36, 16:17 तथा 16:23 पर मेरे मोबाइल नं.



7568859700 से श्री सौरभ सिंह के मोबाइल नं. 7339763392 पर कॉल किया। समय 04:30 पी.एम. के आस पास श्री सौरभ सिंह मेरी फैक्ट्री पर आया तथा मैनें श्री सौरभ सिंह से कहा कि मेरी फैक्ट्री पर लाईट कनेक्शन करवाओं, क्यों रोक रखा है आपने इसके बाद श्री सौरभ सिंह ने मुझे कहा कि आपको रिश्वत देनी पडेगी, हमारे विभाग में सहायक अभियंता, अधिशाषी अभियंता को भी रिश्वत देनी पडती है, इसलिए आपको भी देनी पडेगी। इसके बाद श्री सौरभ सिंह ने मुझ से 25 हजार रूपये रिश्वत के मांगें मैनें उससे कम करने की ही तो श्री सौरभ सिंह ने 20 हजार रूपये रिश्वत के लेने के लिये सहमत हुआ। उक्त राशि वार्ता आपके डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड हुई है। इसके बाद डिजिटल वाईस रिकार्डर को चलाकर सुना गया तो श्री सुरेश कानि. व परिवादी श्री दिपेन्द्र विश्नोई की बातों की ताईद होती है। डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकार्ड वार्ता का स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति में फर्द वार्तारूपांतरण तैयार किया जावेगा। उपरोक्त कार्यवाही में रिश्वत मांग का सत्यापन हो चुका है, स्वतंत्र गवाह तलब कर दिनांक 14.04.2022 को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन कियां जावेगा। इसके बाद स्वतंत्र गवाह श्री पदम सिंह पुत्र श्री दिलीप सिंह, जाति राजपूत, उम्र 30 साल, निवासी मकान नम्बर 31, करनी उमा विहार, ई ब्लॉक, कालवाड रोंड, गोकुलपुरा, जयपुर हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय उपायुक्त विद्याधर जोन, नगर निगम ग्रेटर जयपुर व श्री मोहन कुमार पुत्र स्व. श्री किशोरी प्रसाद, जाति कहार, उम्र 53 साल, निवासी छोटी बाजार, मोगलपुरा, भाग संख्या-7, पटना सिटी, पटना आर्ट, बिहार हाल मकान संख्या 38-40 झालाना फेज-3 रॉयल्टी मार्ग, झालाना डूगंरी, जयपुर हाल वरिष्ठ लिपिक, कार्यालय भारतीय भू—वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पश्चिमी क्षेत्र 15—16 झालाना डूगरी जयपुर जरिये टेलीफोन दिनांक 14.04.2022 को समय 09.00 ए.एम. पर ट्रेप कार्यवाही हेतु कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पाबंद किया गया। इसके बाद दिनांक 14.04.2022 को समय 08:50 ए. एम. पर परिवादी श्री दिपेन्द्र विश्नोई व पूर्व से पाबंदशुदा स्वतंत्र गवाह श्री पदम सिंह व श्री मोहन कुमार उपस्थित कार्यालय आये है। परिवादी श्री दिपेन्द्र विश्नोई व गवाहान का आपस में परिचय करवाया गया तथा परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन करवाया गया तथा ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति चाही गई। इसके बाद दोनों गवाहों द्वारा ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की मौखिक सहमति दी गई तथा दोनों गवाहान द्वारा परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अपने अपने हस्ताक्षर किये। परिवादी श्री दिपेन्द्र विश्नोई द्वारा अपनी फेक्ट्री के कनेक्शन से संबंधित मांग पत्र व फार्म नम्बर द्वितीय, बिजली लॉड डिटेल तथा फेक्ट्री को खरीदने की रजिस्ट्री की छायाप्रतियां पेश की जिसको शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद परिवादी श्री दिपेन्द्र विश्नोइ पुत्र श्री हजारी लाल विश्नोइ, जाति विश्नोई, निवासी मकान नम्बर 8, तनेजा स्ट्रीट, नगर-निगम स्टेडियम के सामने, सांगानेर, जिला जयपुर व परिवादी के दोस्त पृथ्वी सिंह तथा श्री सौरभ सिंह, किनष्ठ अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, सीतापुरा एफ-1, जयपुर के मध्य दिनांक 13.04.2022 कों हुये रिश्वत मांग सत्यापन एवं रिश्वत लेन देन की वार्ता जिसको परिवादी द्वारा ब्यूरो के डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड किया गया था, उक्त रिकार्डशुदा वार्ता की कार्यालय के लेपटॉप की सहायता से सुना जाकर शब्द बर्शब्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई। उपरोक्त वार्ता में आरोपी श्री सौरभ सिंह, कनिष्ठ अभियन्ता की आवाज एवं स्वयं की आवाज तथा श्री पृथ्वी सिंह की आवाज की पहचान परिवादी श्री दिपेन्द्र विश्नोई द्वारा की गई। उक्त रूपान्तरण वार्तालापों का संबंधित वॉईस क्लिप से शब्द-ब-शब्द मिलान किया तथा वार्ता रूपान्तरण सही होना स्वीकार किया गया। तत्पश्चात् वार्ता की सी.डी. बनवाने हेत् तीन खाली सी.डी. को खाली होना सुनिश्चित कर उनमें बारी-बारी से लैपटॉप की सहायता से डिजिटल वाईस रिकार्डर से डाउनलोड किया गया। तीनों सी.डीयों को लेपटॉप में चलाकर उनमें रिकार्ड वार्ताओं का होना सुनिश्चित कर तीनों सीडीयों पर कमशः मार्का—DS, मार्का — DS-1 व मार्का — DS-2 अंकित कर तीनो सीडीयों पर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर मार्का- DS, मार्का - DS-1 सी.डी. को दो पृथक-पृथक सफेद कपडे की थैली में रख कर कपडे की थैलियों पर मार्का- DS, मार्का -अंकित कर सील मोहर कर थैलियों पर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तीसरी सी.डी. मार्का – DS-2 को अनुसंधान हेतु खुला रखा गया। डिजिटल वाईस में लगे मैमोरी कार्ड को एक माचिस की डिब्बी में रखकर माचिस की डिब्बी सफेद कपड़े की थैली में रखकर कपड़े की थैली पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर सील मोहर कर थैली पर मार्का— SD अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया। उपरोक्त

कार्यवाही की फर्द पृथक तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री दिपेन्द्र विश्नोइ को संदिग्ध श्री सौरभ सिंह, कनिष्ठ अभियन्ता को रिश्वत में दिये जाने वाली रिश्वती राशी पेश करने बाबत कहा गया तो परिवादी ने अपने पास से 500 रूपये के 40 नोट कुल 20000/— रूपये निकाल कर मन् पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू. द्वितीय, जयपुर को पेश किये और बताया कि मै अभी 20,000 रूपये लेकर आया हूँ, जिनके नोटों के नम्बर फर्द में अंकित किये। उक्त नोटों के नम्बर पुलिस निरीक्षक एवं उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान के द्वारा पुनः चैक किये गये तो नोटों के नम्बर उपरोक्तानुसार ही पाये गये। उसके बाद श्री खेम चन्द वरिष्ठ सहायक से कार्यालय की आलमारी से फिनोफथलीन पॉउडर की शीशी निकलवायी गयी तथा कार्यालय की एक टेबल पर एक अखबार बिछवाया जाकर उस अखबार पर उपरोक्त नम्बरी नोटों को कुल 20,000 / — रूपये को रखकर उक्त नोटों पर श्री खेम चन्द वरिष्ठ सहायक से अच्छी तरह से फिनोफ़थलीन पॉउडर लगवाया गया। उसके बाद परिवादी श्री दिपेन्द्र विश्नोई की जामातलाशी स्वतन्त्र गवाह श्री पदम सिंह से लिवायी गयी, तो परिवादी के पास मोबाइल फोन के अलावा कोई दस्तावेज / राशि / वस्तू नही रहने दी गयी। तत्पश्चात परिवादी श्री दिपेन्द्र विश्नोइ की पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी वाली जेब में उक्त फिनोफ्थलीन पॉउडर युक्त नम्बरी नोटों को श्री खेम चन्द, वरिष्ठ सहायक से रखवाया गया तथा श्री खेम चन्द, वरिष्ठ सहायक से फिनोफ्थलीन पाँउडर की शीशी कार्यालय की आलमारी में वापस रखवायी गयी। उसके पश्चात एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी मंगवाया जाकर उसमें ट्रेप बाक्स से सोडियम कार्बोनेट की शीशी निकलवाकर उसमें से एक चम्मच सोडियम कार्बीनेट पाउडर साफ पानी से भरे कांच के गिलास में डलवाकर घोल तैयार करवाया, जो रंगहीन रहा, जिसको सभी को दिखाया गया। इसके पश्चात उक्त घोल में श्री खेम चन्द वरिष्ठ सहायक की फिनोफ्थलीन पावडर युक्त दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया, जिस पर परिवादी श्री दिपेन्द्र विश्नोई व उपस्थित स्वतन्त्र गवाहान को दिखाकर समझाया गया कि यदि आरोपी उक्त पॉउडर लगे नोटों को छुयेगा तो उसके हाथों में फिनोफ्थलीन पॉउडर लग जावेगा और इसी प्रकार तैयार किये गये घोल में उसके हाथ धूलवाने पर घोल का रंग गुलाबी या हल्का गुलाबी हो जायेगा जिससे यह साबित होगा कि उसने रिश्वती राशि को प्राप्त किया है। इसके बाद उक्त गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिकवाया गया। जिस अखबार पर नोटों को रख कर फिनोफथलीन पॉउडर लगाया गया था, उस अखबार को जलवाया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री दिपेन्द्र विश्नोइ को हिदायत दी गयी कि वह रिश्वत देने के बाद मन पुलिस निरीक्षक के मोबाइल नं. 70145-55518 पर अपने मोबाइल से मिस कॉल कर गोपनीय ईशारा करें। इसके पश्चात गवाहान को हिदायत की गई कि वे यथा सम्भव परिवादी के साथ या आस-पास रहकर परिवादी व आरोपी के मध्य होने वाली वार्तालाप को सुनने व रिश्वत के लेन-देन को देखने का प्रयास करें तथा परिवादी को हिदायत की गई कि वो संदिग्ध व्यक्ति को रिश्वत राशि देने के पहले व पश्चात ना तो उससे हाथ मिलाये और यदि आवश्यक हो तो हाथ जोडकर नमस्कार करें और यह भी ध्यान रखे कि संदिग्ध कौन से हाथ से पैसे ले रहा है और वह गिनता है या नहीं तथा लेने के बाद रिश्वत राशि को कहां पर रखता है। तत्पश्चात श्री खेम चन्द, वरिष्ठ सहायक के दोनों हाथों को साबुन एवं साफ पानी से धुलवाये गये। इसके बाद परिवादी, स्वतन्त्र गवाहान एवं ट्रैप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबून से धूलवाये गये, मैनें भी अपने हाथ साफ पानी व साबुन से धोये तथा ट्रैपबाक्स में रखी खाली शिशियां, ढक्कन, गिलास चम्मच आदि को साबुन व साफ पानी से धुलवाया गया। परिवादी को छोड़कर सभी की आपस में एक दूसरे की जामा तलाशी लिवाई गई तथा सभी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। श्री खेम चन्द, वरिष्ठ सहायक को कार्यालय में छोड़ा गया। परिवादी श्री दिपेन्द्र विश्नोइ को रिश्वती राशि लेन-देन के समय होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु कार्यालय के सरकारी डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में सत्यापन वार्ता के अलावा खाली होना सुनिश्चित कर, चलाने व बन्द करने की विधि समझाई गई तथा टेप रिकार्डर श्री सुरेश कुमार कानि. 407 को सुपुर्द कर हिदायत दी गई कि संदिग्ध आरोपी को रिश्वत देने के लिए परिवादी के जाने से पूर्व डिजिटल वाईस रिकार्डर को चालू कर परिवादी को देना सुनिश्चित करें। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी नोट व सुपूर्दगी डिजिटल वाईस रिकार्डर पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक

शिवराज सिंह मय हमराहीयान श्री पुष्पेन्द्र सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, श्री मांगीलाल उप अधीक्षक पुलिस, श्री गजानन्द उप निरीक्षक पुलिस, श्री करण सिंह हैड कानि. नं. 67, श्री राजेन्द्र सिंह कानि. नं. 519, श्री रिजवान अहमद कानि. नं. 167, श्री श्रीराम कानि. नं. 295, श्री विरेन्द्र कुमार कानि. नं. 212, श्री कमलेश कुमार कानि. नं. 651, व श्री अमित कुमार कानि. चालक नं. 529 मय सरकारी वाहन मय दो स्वतंत्र गवाहान श्री पदम सिंह एवं श्री मोहन कुमार मय परिवादी के गोपनीय कार्यवाही हेतु रवाना हुआ।

तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक शिवराज सिंह मय हमराहीयान श्री पुष्पेन्द्र सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, श्री मांगीलाल उप अधीक्षक पुलिस, श्री गजानन्द उप निरीक्षक पुलिस, श्री करण सिंह हैड कानि. नं. 67, श्री राजेन्द्र सिंह कानि. नं. 519, श्री रिजवान अहमद कानि. नं. 167, श्री श्रीराम कानि. नं. 295, श्री विरेन्द्र कुमार कानि. नं. 212, श्री कमलेश कुमार कानि. नं. 651, व श्री अमित कुमार कानि. चालक नं. 529 मय सरकारी वाहन मय दो स्वतंत्र गवाहान श्री पदम सिंह एवं श्री मोहन कुमार मय परिवादी के ब्यूरो मुख्यालय से रवाना होकर जे—1110, लक्ष्मी डायमण्ड टूल्स, फ्रेज 3, सीतापुरा जयपुर के पास पहुंचा, सरकारी गाडियों को साईड में खड़ा किया गया। ट्रेप जांच बिछाया गया, परिवादी श्री दिपेन्द्र विश्नोई, स्वतंत्र गवाह श्री पदम सिंह व श्री सुरेश कानि. को संदिग्ध को रिश्वत राशि देने हेतु रवाना किया गया व मन् पुलिस निरीक्षक मय एसीबी टीम व स्वतंत्र गवाह श्री मोहन कुमार के परिवादी के ईशारे में इन्तजार में मुकीम रहा।

इसके बाद समय 03.34 पीएम पर परिवादी श्री दिपेन्द्र विश्नोई पुत्र श्री हजारी लाल विश्नोइ, जाति विश्नोई, निवासी मकान नम्बर ८, तनेजा स्ट्रीट, नगर-निगम स्टेडियम के सामने, सांगानेर, जिला जयपुर मन् पुलिस निरीक्षक को अपने मोबाइल नं. 7588859700 से मेरे मोबाइल नं. 7014555518 पर कॉल कर नियत ईशारा किया। जिस मन् पूलिस निरीक्षक मय श्री पृष्पेन्द्र सिंह राठौड, अतिरिक्त पृलिस अधीक्षक, मय श्री मांगीलाल, पुलिस उप अधीक्षक, मय श्री गजानन्द उ.नि. श्री करण सिंह हैड कानि नं. 67, श्री सुरेश कुमार कानि. नं. 407, श्री राजेन्द्र सिंह कानि. नं. 519, श्री रिजवान कानि. नं. 167, श्री विरेन्द्र कानि. नं. 212, श्री श्रीराम कानि. नं. 95 मय स्वतंत्र गवाह श्री पदम सिंह व श्री मोहन कुमार के फैक्ट्री जे-1110, लक्ष्मी डायमण्ड टूल्स, फ्रेज 3, सीतापुरा जयपुर के प्रथम तल पर पहुंचा, जहां परिवादी श्री दिपेन्द्र विश्नोई मौजूद मिला, जिसने डिजिटल वाईस रिकार्डर सुपूर्द किया जिसको मन पुलिस निरीक्षक द्वारा बन्द किया । इसके बाद परिवादी ने बताया कि मीटर लगाने वाले सहायक अभियंता श्री नीरज गोड नीचे बैठा है जिसको जाप्ते की मदद से डिटेन किया गया। इसके बाद परिवादी ने पास बैठे व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि यह श्री सौरभ सिंह, कनिष्ठ अभियंता है, जिन्होने मेरे से अभी अभी फैक्ट्री में विद्युत कनेक्शन के लिए 20,000 रूपये रिश्वत के लिये है और अपने हाथों से गिनकर अपनी पहनी हुई जीन्स की पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब में रखे है और आपको आते हुये देखकर अपने हाथ में रख लिये है। इस पर मन पुलिस निरीक्षक ने अपना व एसीबी टीम का परिचय देते हुये कूर्सी पर बैठे व्यक्ति से उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री सौरभ सिंह पुत्र स्व. श्री भीकम सिंह उम्र 34 साल जाति जाटव निवासी फलेट नं. 304, प्लाट नं. 157, गोविन्द धाम अपार्टमेन्ट, कृष्णा सरोवर, मानसरोवर, जयपुर हाल कनिष्ठ अभियन्ता व अतिरिक्त प्रभार सहायक अभियंता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, सीतापुरा एफ-1, जयपुर बताया। इसके बाद आरोपी श्री सौरम सिंह से अभी अभी परिवादी श्री दीपेन्द्र विश्नोई से विद्युत कनेक्शन के लिए ली गई 20,000 हजार रूपये रिश्वत राशि के बारे में पूछा तो श्री सौरभ सिंह ने बताया कि मैनें 20,000 हजार रूपयों में से 5000 रूपये नीचे बैठे श्री नीरज गौड, सहायक अभियंता के लिए तथा 5000 रूपये श्री नीरज गौड की टीम के लिए, 5000 रूपये अधिशाषी अभियंता श्री एस.के लालवानी के लिए लिये है तथा 5000 रूपये स्वयं व स्वयं की टीम हेत् लिये है। इसके बाद आरोपी श्री सौरभ सिंह के हाथ में ली गई रिश्वत राशि गवाह श्री पदम सिंह के पास सुरक्षित रखवाई गई। तथा आरोपी श्री सौरभ सिंह के हाथ में रिश्वत राशि के साथ परिवादी की फैक्ट्री का जे.वी.वी.एन.एल. का विद्युत निरीक्षण रिपोर्ट का भरा हुआ प्रोफार्मा का पत्र जिस पर शीट नं. 14 दिनांक 14.04. 2022 अंकित हुआ मिला, जिसकों भी सुरक्षार्थ स्वतंत्र गवाह श्री पदम सिंह को सुपुर्द किया गया। इसके पश्चात ट्रेप बाक्स से एक साफ कांच का गिलास मंगवाकर उनमें साफ पानी

डलवाकर उनमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डलवाकर मिश्रण तैयार करवाया गया। उक्त घोल को उपस्थितगणों को दिखाये जाने पर घोल रंगहीन होना स्वीकार किया। इसके बाद आरोपी श्री सौरम सिंह के दाहिने हाथ की अगुलियों व अंगुठे को उक्त घोल में धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया। उक्त घोल को दो साफ कांच की शिशियों में आधा आधा भरवाकर शीशीयों मार्क कमशः R व R-1 अंकित कर उक्त दोनों शीशीयों को सीलचिट कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। इसी प्रकार दूसरे साफ कांच का गिलास मंगवाकर उनमें साफ पानी डलवाकर उनमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डलवाकर मिश्रण तैयार करवाया गया। उक्त घोल को उपस्थितगणों को दिखाये जाने पर घोल रंगहीन होना स्वीकार किया। इसके बाद आरोपी श्री सौरभ सिंह के बांये हाथ की अगुलियों व अंगुठे को उक्त घोल में धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया। उक्त घोल को दो साफ कांच की शिशियों में आधा आधा भरवाकर शीशीयों मार्क कमशः L व L-1 अंकित कर उक्त दोनों शीशीयों को सीलचिट कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। इसके बाद एक नेकर मंगवाया जाकर आरोपी श्री सौरभ सिंह की पहनी हुई जीन्स पेन्ट को उतरवाई जाकर नेकर पहने को दिया गया। इसके पश्चात ट्रेप बाक्स से एक साफ कांच का गिलास मंगवाकर उनमें साफ पानी डलवाकर उनमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डलवाकर मिश्रण तैयार करवाया गया। उक्त घोल को उपस्थितगणों को दिखाये जाने पर घोल रंगहीन होना स्वीकार किया। इसके बाद आरोपी श्री सौरभ सिंह की पहनी हुई पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब को उल्टवाकर, उक्त तैयारशुदा रंगहीन घोल में डूबोया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया।, उक्त तैयारशुदा रंगहीन घोल में डूबोया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। उक्त घोल को दो साफ कांच की शिशियों में आधा आधा भरवाकर शीशीयों मार्क कमशः PPW व PPW-1 अंकित कर उक्त दोनों शीशीयों को सीलचिट कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। आरोपी की जीन्स की पेन्ट की दाहिनी जेब को सुखाकर, जेब पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर, आरोपी की जीन्स की पेन्ट को एक सफेद कपड़े की थैली में रखकर थैली पर मार्का P अंकित कर थैली पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ए. सी.बी लिया गया। इसके बाद आरोपी के पास मिली रिश्वत राशि जिसे स्वतंत्र गवाह श्री पदम सिंह के पास सुरक्षित रखवाया गया था, का मिलान फर्द पेशकशी नोट से किया गया तो फर्द पेशकशी में बनी नोटों की सूची के नम्बरी नोट हुबहु होना पाये गये। उक्त राशि को एक सफेद कागज में लपेटकर, सील मोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर बजह सबूत जप्त कर कब्जा एसीबी लिया गया। इसके बाद गवाह श्री पदम सिंह को रिश्वत राशि के साथ मिले परिवादी की फैक्ट्री का जे.वी.वी.एन.एल. का विद्युत निरीक्षण रिपोर्ट का भरा हुआ प्रोफार्मा का पत्र जिसको गवाह श्री पदम सिंह के पास सुरक्षित रखवाया गया था उक्त पत्र पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। डिजिटल वाईस रिकार्डर को चालू कर सरसरी तौर पर सुना गया तो रिश्वत लेन देन वार्ता होना पायी गई, जिसका वार्ता रूपांतरण आईन्दा तैयार किया जावेगा। इसके बाद फैक्ट्री के ग्राउण्ड फ्लोर पर पूर्व में डिटेनशुदा सहायक अभियंता श्री नीरज गौड को जाप्ते की मदद से उपर लाया जाकर आरोपी श्री सौरभ सिंह से आमना सामना करवाया तो श्री नीरज गौड ने कहा कि मैरी सौरभ सिंह से रिश्वत के संबंध में कोई बात नहीं हुई है तथा मैनें कभी भी श्री सौरभ सिंह को रिश्वत राशि बाबत नहीं कहा है। श्री सौरभ सिंह ने जो रिश्वत राशि ली है स्वयं के लिए ही ली है। उपरोक्त कार्यवाही से आरोपी श्री सौरभ सिंह पुत्र स्व. श्री भीकम सिंह उम्र 34 साल जाति जाटव निवासी फ्लेट नं. 304, प्लाट नं. 157, गोविन्द धाम अपार्टमेन्ट, कृष्णा सरोवर, मानसरोवर, जयपुर हाल कनिष्ठ अभियन्ता व अतिरिक्त प्रभार सहायक अभियंता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, सीतापुरा एफ-1, जयपुर द्वारा परिवादी श्री दिपेन्द्र विश्नोई से उसकी सीतापुरा औधोगिक क्षेत्र में स्थित फैक्ट्री जे-1110, लक्ष्मी डायमण्ड टूल्स, फ्रेज 3, सीतापुरा जयपुर पर विद्युत कनेक्शन करने की ऐवज में दिनांक 13. 04.2022 को 25,000 रूपये रिश्वत की मांग कर उक्त मांग के अनुसरण में आज दिनांक 14. 04.2022 को दौराने ट्रेप कार्यवाही आरोपी श्री सौरभ सिंह द्वारा परिवादी से 20 हजार रूपये रिश्वत के अपने हाथों से प्राप्त कर अपनी पहनी हुई जीन्स की पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब में रखे था, एसीबी टीम को आते देख अपने हाथों में रख लिये, जिसको रिश्वत राशि को बरामद कर लिया तथा आरोपी श्री सौरभ सिंह को रंगे हाथो पकडा गया। अतः आरोपी श्री सौरभ सिंह, कनिष्ठ अभियन्ता व अतिरिक्त प्रभार सहायक अभियंता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, सीतापुरा एफ-1, जयपुर का उक्त कृत्य भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 की धारा 7 के तहत प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द हाथ धुलाई व बरामदगी रिश्वत राशि पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। आरोपी को जरिये फर्द पृथक से गिरफ्तार किया गया फर्द गिरफ्तारी एवं जामा तलाशी पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में परिवादी की निशादेही से घटना स्थल का नक्शा मौका कसीद कर शामिल कर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात स्वतंत्र गवाहा की उपस्थित में फर्द प्राप्ति नमूना आवाज तैयार कर की गई। जिसके पर आरोपी श्री सौरभ सिंह ने स्वतंत्र गवाहा की उपस्थित में अपनी आवाज का नमूना देने से मना किया। जिसकी फर्द पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद पूर्व डिटेनशुदा श्री नीरज गौड सहायक अभियंता को हिदायत की गई कि जब भी अनुसंधान में उनकी आवश्यकता पड़े तो आपको एसीबी कार्यालय बुलाने पर आना होगा। इसके बाद श्री नीरज गौड, सहायक अभियंता, को मुनासिब हिदायत कर रूखसत किया गया। तत्पश्चात समय 06:40 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान मय स्वतंत्र गवाहा मय गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री सौरभ सिंह मय शिल्डशुदा आर्टिकल्स मय आरोपी की गाडी हुण्डई कम्पनी की आई 20 नं. आरजे 14 वीसी 2931 के ब्यूरो मुख्यालय के लिये खाना होकर 07:00 पी.एम. पर मय हमराहीयान मय गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री सौरभ सिंह के ब्यूरो मुख्यालय आया, शील्डशुदा आर्टिकल्स को आईन्दा ब्यूरों के मालखाने में जमा करवाया गया। आरोपी की गाडी हुण्डई कम्पनी की आई 20 नं. आरजे 14 वीसी 2931 को सुरक्षार्थ ब्यूरो परिसर में खडा किया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री सौरभ सिंह का साला श्री उदय सिंह निगम पुत्र श्री ज्ञान सिंह जाति जाटव निवासी प्लाट नं. 26, शांतीनगर, करतारपुरा, थाना महेश नगर जयपुर उपस्थित कार्यालय आये, जिन्होने य आरोपी की गाडी हुण्डई कम्पनी की आई 20 नं. आरजे 14 वीसी 2931 को वापस लेने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया। जिस पर श्री उदय सिंह निगम को गाडी की चाबी सुपुर्द कर प्रार्थना पत्र पर ही प्राप्ति हस्ताक्षर प्राप्त कर प्रार्थना पत्र को शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री दिपेन्द्र विश्नोइ पुत्र श्री हजारी लाल विश्नोई, जाति विश्नोई, निवासी मकान नम्बर 8, तनेजा स्ट्रीट, नगर-निगम स्टेडियम के सामने, सांगानेर, जिला जयपुर व आरोपी श्री सौरभ सिंह, कनिष्ठ अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, सीतापुरा एफ-1, जयपुर के मध्य दिनांक 14.04.2022 की हुये वक्त रिश्वत लेन देन की वार्ता जिसको परिवादी द्वारा ब्यूरो के डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड किया गया था, उक्त रिकार्डशुदा वार्ता की कार्यालय के लेपटॉप की सहायता से सुना जाकर शब्द ब शब्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई। उपरोक्त वार्ता में आरोपी श्री सौरभ सिंह, कनिष्ठ अभियन्ता की आवाज एवं स्वयं की आवाज की पहचान परिवादी श्री दिपेन्द्र विश्नोइ द्वारा की गई। उक्त रूपान्तरण वार्तालाप का संबंधित वॉईस क्लिप से शब्द-ब-शब्द मिलान किया तथा वार्ता रूपान्तरण सही होना स्वीकार किया गया। तत्पश्चात् वार्ता की डी.वी.डी. बनवाने हेतु तीन खाली डीवीडियों को खाली होना सुनिश्चित कर उनमें बारी-बारी से लैपटॉप की सहायता से डिजिटल वाईस रिकार्डर से डाउनलोड किया गया। तीनों डीवीडियों को लेपटॉप में चलाकर उनमें रिकार्ड वार्ताओं का होना सुनिश्चित कर तीनों डीवीडियों पर क्रमशः मार्का–DS-3, मार्का – DS-4 व मार्का – DS-5 अंकित कर तीनो डीवीडियों पर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर मार्का— DS-3, मार्का — DS-4 डी.वी.डी. को दो पृथक—पृथक सफेद कपड़े की थैली में रख कर कपड़े की थैलियों पर मार्का— DS-3, मार्को — DS-4 अंकित कर सील मोहर कर थैलियों पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तीसरी डी.वी.डी. मार्का — DS-5 को अनुसंधान हेतु खुला रखा गया। डिजिटल वाईस रिकार्डर में लगे मेमोरी कार्ड को एक माचिस की डिब्बी रखकर माचिस की डिब्बी को सफेद कपड़े की थैली में रखकर कपड़े की थैली पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर सील मोहर कर थैली पर मार्का -SD-2 अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द वार्तारूपांतरण पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया। आरोपी श्री सौरभ सिंह से कोई बरामदगी शेष नहीं है। प्रकरण में तकमील तफ्तीश पूर्ण किये जाने में समय लगने की संभावना है। अतः आरोपी श्री सौरभ सिंह का 15 योम न्यायिक अभिरक्षा रिमाण्ड तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया। आरोपी को श्रीमान विशिष्ठ न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण मामलात क सं 03, जयपुर के निवास स्थान पर पेश किया गया श्रीमान ने आरोपी को दिनांक 16.04.2022 तक न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश फरमाये। जिस पर आरोपी

一家

को केन्द्रीय कारागृह, जयपुर में दाखिल करवाया जाकर प्राप्ति रसीद प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई।

उपरोक्त कार्यवाही से आरोपी श्री सौरभ सिंह पुत्र स्व. श्री भीकम सिंह उम्र 34 साल जाति जाटव निवासी फ्लेट नं. 304, प्लाट नं. 157, गोविन्द धाम अपार्टमेन्ट, कृष्णा सरोवर, मानसरोवर, जयपुर हाल किनष्ठ अभियन्ता व अतिरिक्त प्रभार सहायक अभियंता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, सीतापुरा एफ—1, जयपुर द्वारा परिवादी श्री दिपेन्द्र विश्नोई से उसकी सीतापुरा औधोगिक क्षेत्र में स्थित फैक्ट्री जे—1110, लक्ष्मी डायमण्ड टूल्स, फेज 3, सीतापुरा जयपुर पर विद्युत कनेक्शन करने की ऐवज में दिनांक 13.04.2022 को 25,000 रूपये रिश्वत की मांग कर उक्त मांग के अनुशरण में दिनांक 14.04.2022 को दौराने ट्रेप कार्यवाही आरोपी श्री सौरभ सिंह द्वारा परिवादी से 20 हजार रूपये रिश्वत के अपने हाथों से प्राप्त कर अपनी पहनी हुई जीन्स की पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब में रखे था, एसीबी टीम को आते देख अपने हाथों में रख लिये, जिसको रिश्वत राशि को बरामद कर लिया तथा आरोपी श्री सौरभ सिंह को रंगे हाथो पकड़ा गया। अतः आरोपी श्री सौरभ सिंह, किनष्ठ अभियन्ता व अतिरिक्त प्रभार सहायक अभियंता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, सीतापुरा एफ--1, जयपुर का उक्त कृत्य अन्तर्गत भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 की धारा 7 के तहत प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है।

अतः आरोपी श्री सौरभ सिंह पुत्र स्व. श्री भीरम सिंह उम्र 34 साल जाति जाटव निवासी फ्लेट नं. 304, प्लाट नं. 157, गोविन्द धाम अपार्टमेन्ट, कृष्णा सरोवर, मानसरोवर, जयपुर हाल किनष्ठ अभियन्ता व अतिरिक्त प्रभार सहायक अभियंता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, सीतापुरा एफ—1, जयपुर व अन्य के विरूद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने की अनुशंषा की जाती है।

> (शिवराजिसंह) पुलिस निरीक्षक स्पेशल यूनिट द्वितीय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री शिवराजिसंह, पुलिस निरीक्षक, स्पेशल यूनिट, द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा ७ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम १९८८ (यथा संशोधित २०१८) में आरोपी श्री सौरभ सिंह, किनष्ठ अभियंता व अतिरिक्त प्रभार सहायक अभियंता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड सीतापुरा एफ-१, जयपुर एवं अन्य के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अत: अपराध संख्या 132/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रतियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट की नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

कमांक 1169-73 दिनांक 15.4.2022

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- 1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर कम संख्या-1,जयपुर।
- 2. अतिरिक्त महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
- 3. सचिव-प्रशासन, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर।
- 4. उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
- 5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एसयू-द्वितीय जयपुर।

उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निर्गाधक ब्यूरो, जयपुर।